भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 606

जिसका उत्तर 01 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

कोयले की कमी

606. श्री सौमित्र खानः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में कोयले की कमी को एक गंभीर समस्या मानती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मुद्दे पर राज्यों और संघ सरकार के बीच मतभेद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उपरोक्त मुद्दे के समाधान के लिए सरकार के पास कोई ठोस तंत्र उपलब्ध है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ड.) : देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। विद्युत की मांग बढ़ने, आयातित कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कम विद्युत उत्पादन होने और भारी वर्षा के कारण कोयले की आपूर्ति में कुछ व्यवधान के कारण 8 अक्तूबर, 2021 की स्थिति के अनुसार विद्युत संयंत्रों में कोयले का भंडार घटकर 7.2 मि.ट. (4 दिनों के लिए पर्याप्त) हो गया था। तत्पश्चात कोयले की आपूर्ति में वृद्धि होने से कोयले के भंडार में वृद्धि होना शुरू हो गया है तथा अब यह 25.11.2021 की स्थिति के अनुसार 16.74 मि.ट. (9 दिनों के लिए पर्याप्त) पहुंच गया है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अक्तूबर, 21 के दौरान लगभग 54 मिलियन टन (मि.ट.) अधिक कोयले का प्रेषण किया है। सीआईएल ने पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान 237.75 मि.ट. की तुलना में इस अवधि के दौरान 291.72 मि.ट. कोयले का प्रेषण किया है। दिनांक 08.10.2021 की स्थिति के अनुसार सीआईएल पिटहेड में कोयले का भंडार 40.23 मि.ट. था और यह दिनांक 25.11.2021 की स्थिति के अनुसार 32.30 मि.ट. था।

देश में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कोयला आपूर्ति में सुधार करने हेतु उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

i. विद्युत क्षेत्र में कोयला आपूर्ति के मुद्दे का निपटान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), सीआईएल और एससीसीएल के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए अंतर-मंत्रालयी उप-समूह की बैठकें नियमित रूप से होती रहती हैं जो ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ाने और विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की संकटपूर्ण स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए विविध प्रचालनात्मक निर्णय लेती है।

ii. आरसीआर/सड़क माध्यम से लिफ्टिंग के लिए राज्यों, केंद्रीय जेन्कोस हेतु सीआईएल ने अपनी विविध सहायक कंपनियों से लगभग 5.2 मि.ट. अतिरिक्त कोयले की पेशकश की थी।

iii. वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) के अतिरिक्त, पावर हाउस में भंडार का निर्माण करने के लिए 'जैसा है जहां है' आधार पर आरसीआर माध्यम से कोयले की पेशकश की गई है।

iv. कोयला मंत्रालय ने खान के साथ जुड़े हुए अन्त्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद, वित्त वर्ष में उत्पादित कुल कोयले या लिग्नाइट के 50 प्रतिशत तक कैप्टिव खान के पट्टेदार द्वारा अतिरिक्त राशि के भुगतान पर कोयले या लिग्नाइट की बिक्री की अनुमति देकर कैप्टिव खानों से घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खनिज रियायत नियम, 1960 को संशोधित किया है। इस वर्ष के प्रारंभ में, इसके लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम में संशोधन किया गया था। यह निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कैप्टिव खानों, दोनों के लिए लागू होता है। इस संशोधन के साथ, सरकार ने उन कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों की खनन क्षमताओं के अधिक से अधिक उपयोग द्वारा बाज़ार में अतिरिक्त कोयले को जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिनका अपनी कैप्टिव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयले के सीमित उत्पादन के कारण केवल आंशिक रूप से उपयोग किया जा रहा था।

******